

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान

Contribution of Women in Environmental Protection

Paper Submission: 10/06/2021, Date of Acceptance: 22/06/2021, Date of Publication: 23/06/2021

सारांश

हमारे ऋषि मुनियों को प्रकृति संरक्षण एवं मानव स्वभाव की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए अनेक मौकों पर गंभीर भूल कर सकता है जिसके दूरगामी परिणाम खराब और नुकसानदायक हो सकते हैं। इस लिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव संबंध स्थापित किए ताकि इस क्षति को रोका जा सके। इसमें भी खास तौर पर महिलाओं कों वृक्षों के साथ जोड़ा जैसे साल भर के त्यौहारों/पर्वों में आँवले के पेड़, पीपल, बरगद, तुलसी, की पूजा का समावेश होता है जिससे सहज ही प्रकृति से एक तादात्म्य स्थापित होता चला गया।

Our sages had deep knowledge of nature conservation and human nature. He knew that human beings can make serious mistakes on many occasions for their momentary gains, whose far-reaching consequences can be bad and harmful. That's why they established human relations with nature so that this damage could be prevented, especially women associated with trees like worship of Amla tree, Peepal, Banyan, Tulsi, in festivals/festivals throughout the year. Due to which an identification with nature was easily established.

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, संरक्षण, तादात्म्य, कालांतर, हस्तांतरित, आधुनिकता, संस्कारों, पर्यावरण, परियोजना, संग्रहणकर्ता, आदिवासियों, रुद्धिवादिता, साहचर्य, आन्दोलन।

Globalization, Protection, Union, Identity, Time, Transferred, Modernity, Culture, Environment, Project, Collectors, Tribals, Rampals, Conservatism, Association, Movement.

प्रस्तावना

सनातनी परंपराओं ने कहीं न कहीं प्रकृति का संरक्षण किया है। सनातन धर्म का प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता है। इसका अंदाजा ऋग्वेद के प्रथम मंत्र जो अग्नि की स्तुति में रचा गया है, से लगाया जा सकता है। जब वृक्षों को देव मानकर उनकी पूजा का विधान रचा गया तो स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से प्रकृति की संरक्षिका हो गईं। कालांतर में सप्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में भी वृक्षों की रक्षा सर्वोपरि थी। आदर्श शासन व्यवस्था में ग्रामपालों की नियुक्ति की बात भी कही गई है।

हमारे महर्षियों को इस बात का अंदाजा था कि पेड़ों में चेतना होती है और यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। परिवार की सामान्य गृहिणी भी अपने अबोध बालक को कहती है कि रात में पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए वे सो जाते हैं। पारंपरिक रूप से गृहिणी ऐसा करती हैं हो सकता है कि उसे इस बात का वैज्ञानिक कारण मालूम नहीं हो परन्तु यह पारिवारिक ज्ञान स्त्रियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महती भूमिका है।

पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग—अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है।

कार्ल मार्क्स के अनुसार 'कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है।'

कोफी अन्नान के अनुसार 'इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है।

रियो डिक्लरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबन्धन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।



लाला राम मीना

सह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
स्व.प.न.कि.श.राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान, भारत

सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। भारतीय सन्दर्भ में यदि विवेचना की जाय तो भारतीय महिलाएँ वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही हैं। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातः काल को सूर्य अर्ध्य देना, चन्द्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक अजैविक व जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य, वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरन्तर प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में संरक्षण के प्रति हमारे संस्कारों को आधुनिक समाज ने रुढ़िवादिता कह कर हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर कर दिया है। किन्तु आज पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा।

पर्यावरण और स्त्री का चोली दामन का संबंध है। धरती और स्त्री को समानता साहित्य में भी की गई गई है। स्त्री प्रकृति के साथ एक उल्लासमय साहचर्य में रहती है। वैदिक काल की कालिदास की शंकुतला वृक्षों और लताओं के साथ भाई बहिन जैसा स्नेह रखती है और पुष्प खिलने पर उत्सव मनाती है। यही प्रकृति उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी प्रतीत होती है।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा बचाओ आन्दोलन की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद 'मेधा पाटकर' गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। सरदार सरोवर परियोजना के कारण वर्धा के रथानीय पर्यावरण संरक्षण, आदिवासियों के अधिकार के लिये आवाज उठाने वाली मेधा पाटकर को पर्यावरणविद के रूप में अधिक जाना जाता है। वनों में महिलाएँ संग्रहणकर्ता, संरक्षक व प्रबन्धक तीनों की ही भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही राष्ट्रीय वन नीति-1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्त्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों को हरे-भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित 'सेवा मण्डल' संस्था को 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु के.पी. गोयनका पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसमन्वय जिले के पिपलन्तरी के ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया। इस योजना में अब तक 2.86 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस गाँव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है।

अपने रोजमर्ग के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में हर महिला अपना योगदान दे सकती है जैसे :-

1. प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें।
2. पारंपरिक रूप से प्रकृति को पूज कर जिसमें पेड़ / पौधे, जीव जंतु, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश सभी को पूजा जाता है।
3. शाकाहार को ज्यादा से ज्यादा अपना कर।
4. पेपर बैग बनाना और उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना।

5. बच्चों के जन्मदिन पर पौधा लगाएं और उन्हे उसकी देखभाल के लिए प्रेरित करें।
6. RO की जगह न्यूयार्क वॉटर प्लूरिफायर लगवाएँ।
7. रसोई में बार-बार पेपर नैपकिन का इस्तेमाल न करें बल्कि कपड़े के डस्टर/रुमाल को काम में लाएं।
8. घर में सोलर वॉटर हीटर लगवाएं, बर्तन धोने/नहाने में इस पानी का इस्तेमाल करें।
9. डिस्पोजेबल प्लेट की जगह बर्तन या पत्तलों का इस्तेमाल करें।
10. रुम फेशनर्स/एयर प्लूरिफायर की जगह कमरे की रिफ्रिजरेटर व दरवाजे खोल कर रखें।
11. बोतल के पानी का कम से कम इस्तेमाल करें।
12. घर के सामान और सज्जियों को थोक में खरीदें, बार-बार की पैकेजिंग से बचाव होगा।
13. किताबों का मित्रों/रिश्तेदारों से आदान-प्रदान करें।
14. समारोह में अतिथि स्वागत या अन्य कार्यक्रमों में पुष्प-गुच्छ की जगह या हार पहनाने की बजाय पौधे देकर संबंधों को मजबूत बनाएं।

बिजली व पानी के संरक्षण की ट्रेनिंग लें और अपनी सहेलियों को और सभी साथियों को इस काम में प्रेरित करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। महिलाओं के पर्यावरण से पुराने और गहरे संबंध रहें हैं। आधुनिक समय में इन संबंधों की अच्छी झलक में विभिन्न छोटे-बड़े आंदोलनों में देखने को मिली हैं। स्त्रियां काटे जा रहे जंगलों, बेहिसाब एवं अवैध खनन और अन्य पर्यावरण दूषित करने वाली क्रियाओं के खिलाफ लामबंद हुई हैं और सड़कों पर उतरी हैं। वे ऊसर जमीनों पर पौधे लगा रही हैं, जल संरक्षण के काम में अपना सहयोग दे रही हैं और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के अलावा गैर पारंपरिक स्रोतों की इजाद और उन्हें अपनाने में जुटी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद समाज/राष्ट्र अपनी नीतियों में उन्हें वो जगह अब भी नहीं देता जिसकी वो हकदार है। यदि महिलाओं को विकास की नीतियों में शामिल किया जाए तो वे बेहतर तरीके से पर्यावरणीय प्रबंधन कर पाएंगी जो हमारे राष्ट्र और इस ग्रह को खूबसूरत और हरा - भरा बनाने में सहायक होगा। इन सब आन्दोलनों के दबाव में 1988 में बनी राष्ट्रीय वन नीति में महिलाओं की भूमिका को महत्व दिया गया और यह समझ बनी कि वन नीति के लक्ष्य को पाने के लिए स्त्रियों को साथ लेकर चलना आवश्यक है। इसके चलते संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत गाँवों में वन समितियां बनाई गईं जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। हालांकि अभी भी 33 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद महिलाओं को बोलने की ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उतनी आजादी नहीं मिली है, जितनी अपेक्षित है, परन्तु मेरा यकीन है कि धुंध के बादल छठेंगे और साहचर्य, समानता और सत्कर्म का सूर्य फिर उदय होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सक्सेना, हरिमोहन (1995) : पर्यावरण एवं प्रदूषण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
2. सिंह, सविन्द्र (2004) : पर्यावरण भूगोल प्रयाग, पुस्तक भवन प्रयागराज (उ.प्र.)
3. बंसल, सुरेष चन्द (2015-16) : पर्यावरण एक अध्ययन, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ (उ.प्र.)
4. स्थानीय समाचार पत्र, पत्रिकाएँ राजस्थान।
5. दीपि शर्मा एवं महेन्द्र कुमार 2009 : मानव एवं पर्यावरण अर्जुन पब्लिषिंग हाउस नई दिल्ली
6. 6 राजस्थान सुजस, पर्यावरण संरक्षण 20 जून 2020 पॉपुलर प्रिन्टर्स जयपुर।
7. डॉ. विलब - भारत में महिला मानवाधिकार, 2012, राहुल पब्लिषिंग हाउस, मेरठ (यू.पी)
8. बी.टी थामिलमारन - हुमन राइट्स इन थर्ड वर्ड पर्सपेरिट्व, पेज नं. 97
9. दिलीप जाखड़ - मानवाधिकार, 2004, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि जयपुर।
10. डी.आर.सक्सेना - लॉ, जस्टिस एण्ड सोशल चेन्ज, पेज नं. 432
11. डी.डी बसु - भारतीय संविधान : एक परिचय, 1994
12. एस.के.बोस - इण्डियन कूमेन थो एजेज, पेज नं. 121
13. शोभा राजोरिया - महिला और कानून 2011, ब्लू स्टार इन्डौर (म.प्र)
15. सुभाष शर्मा - भारत में मानवाधिकार 2009, नेष्टनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।
16. भारत की जनगणना 2011
17. योजना 2012
18. Bhawani Singh – Social Justice, Politics and Anomie, 2010, Gauttam Book Company, Rajapark, Jaipur.